भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 342

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता

342. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-किसान योजना के तहत वितरित की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त योजना ने किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने में और कृषि संबंधी उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसा कोई शिकायत निवारण तंत्र है, जहां किसान अपनी किसी भी शिकायत की रिपोर्ट कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में रुपये 3.46 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

(ख): अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा वर्ष 2019 में एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत वितरित फंड ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक (केटेलिस्ट) के रूप में काम किया है, किसानों की ऋण बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इसके

अलावा, इस योजना से किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ी है, इससे उन्हें जोखिमपूर्ण लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पीएम-किसान के तहत प्राप्तकर्ताओं को मिलने वाला फंड न केवल उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रहे हैं। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम किसान योजना वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हुई है।

(ग): भारत सरकार और राज्य सरकारें पीएम-किसान के प्रचार के लिए कई गतिविधियाँ चलाती हैं, जिनमें नियमित अंतराल पर समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँच, डीडी किसान पर कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम-किसान के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च भी प्रदान करता है, जिसमें प्रचार/जागरूकता अभियान शामिल हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) योजना का प्रचार करने और जमीनी स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जुड़े हुए हैं ताकि सभी पात्र किसान इस योजना के अंतर्गत आ सकें।

(घ): पीएम-किसान योजना में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है। किसानों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित शिकायत मॉड्यूल है। पीएम-किसान शिकायत मॉड्यूल के अलावा, किसान केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों का राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।

इसके अलावा, योजना के बड़े लाभार्थी आधार को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों द्वारा उठाए गए सामान्य प्रश्नों और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए, एक आवाज-आधारित पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) विकसित किया गया था। यह चैटबॉट किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मूल भाषाओं में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। किसान ई-मित्र चैटबॉट वर्तमान में 11 भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी, ओडिया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में काम करता है। अब तक 52 लाख से अधिक किसानों के 91 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान किया जा चुका है।

*****